(23) (50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3473-III/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–08–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 166/अपील/2011–12

1–ईसाक मोहम्मद पुत्र एजाज मोहम्मद
2–असफाक मोहम्मद पुत्र एजाज मोहम्मद
निवासीगण ग्राम पिपरई तहसील मुंगावली
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–इसरार अहमद पुत्र निहाल अहमद
2–आविदअली पुत्र अमीरअली मुसलमान
निवासीगण ग्राम पिपरई तहसील मुंगावली
जिला अशोक नगर म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री अरशद अली, अभिभाषक अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 10/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 166/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–08–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पिपरई में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 248 रकबा 3.595 एवं 298 रकबा 2.446 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार मुँगावली के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिस पर राजस्व निरीक्षक, पटवारी को उक्त भूमि का सीमांकन कराने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया तत्पश्चात् राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन दिनांक 25—6—12 इस आशय का प्रस्तुत किया कि नक्शा एवं मौके के मान से दो जरीब का अन्तर आने से अधीक्षक भू—अभिलेख से सीमांकन कराया जाना चाहिये । तहसीलदार द्वारा इसी के अनुसार भू—अभिलेख शाखा अशोकनगर को पत्र लिखा गया जिसके पालन में कार्यालय भू—अभिलेख अशोकनगर से संयुक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 30—6—12 को उक्त भूमि का सीमांकन सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी हल्का को आदेश जारी किये । तहसीलदार मुँगावली की कार्यवाही के पालन में संयुक्त कलेक्टर के आदेश से अधीक्षक भू—अभिलेख शाखा अशोकनगर द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 5—7—12 को मौके पर विधिवत् रूप से सीमांकन कार्यवाही पूर्ण करते हुये सीमांकन प्रतिवेदन सजरा पंचनामा रसीद नक्शा फील्डबुक विधिवत् रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई । अधीक्षक भू—अभिलेख कार्यालय से की गई सीमांकन कार्यवाही में मौके पर तथा नक्शा में जरीब का कोई अन्तर न पाते हुये सही रूप से सीमांकन कार्यवाही पूर्ण की गई। विचारण न्यायालय तहसीलदार मुँगावली द्वारा अपने ही मूल सीमांकन आदेश एवं संयुक्त कलेक्टर द्वारा सीमांकन पालन में की गई कार्यवाही आदेश दिनांक 28—8—2012 द्वारा निरस्त की गई। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—8—12 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर के समक्ष प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 166/2011—12 प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 30—8—2013 से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—8—2013 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं

है बल्कि सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी किये जाने का प्रावधान है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के दिशा निर्देशों के पालन में यह निगरानी प्रस्तुत की गई । विवादित भूमि का सीमांकन कराये जाने का आवेदन आवेदकगण द्वारा तहसीलदार मुँगावली के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सीमांकन कार्यवाही की गई और अपना प्रतिवेदन दिनांक 25–6–12 इस आशय का प्रस्तुत किया कि नक्शा एवं मौके के मान से दो जरीब का अन्तर आने से अधीक्षक भू–अभिलेख से सीमांकन कराया जाना उचित होगा तत्पश्चात् तहसीलदार मुँगावली द्वारा कार्यालय भू–अभिलेख अशोक नगर से संयुक्त कलेक्टर द्वारा दिनरांक 30–6–12 को उक्त सीमांकन कार्यवाही हेतु अधीक्षक भू–अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक व पटवारी हल्का को आदेश ज़ारी किये गये इसके बाद सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन दिनांक 5–7–12 को विधिवत् रूप से किया गया व तहसीलदार को समस्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई किन्तु तहसीलदार मुंगावली द्वारा उपरोक्त सीमांकन कार्यवाही को बिना किसी कारण के अवैध मानकर समाप्त कर दिया जो गलत है । सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख की सीमांकन की कार्यवाही को मात्र कल्पना के आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी जॉच साक्ष्य एवं अभिलख से न कर ली जाये । इस प्रकरण में सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख की सीमांकन कार्यवाही को किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई तब ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के सीमांकन कार्यवाही को अवैध मान लेना विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है । सीमांकन की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा ही करायी गई थी जिसके पालन में सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 5–7–12 को की गई थी । आवेदकगण द्वारा तहसीलदार मुंगावली के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली को प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 30–8–13 से मात्र इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि तहसीलदार की सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किया जा सकता है न कि अपील । जबकि अपीलीय न्यायालय को चाहिये था कि यदि प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रथम आदेश पत्रिका में ही उपरोक्त आदेश पारित किया जाना चाहिये था अथवा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये आवेदकगण को मूलतः वापिस किया जाना चाहिये था । लिखित तर्क में

यह भी बताया कि अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 2/अ–74/1992–93 प्रस्तुत किया था और इस प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है । यहॉ तक कि प्रकरण में स्थगन आदेश भी नहीं है । ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही को मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता था कि अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–13 व तहसीलदार मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–12 निरस्त किये जायें एवं सहायक भू–अभिलेख द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 577–12 को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया।

4– अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–12 एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–12 विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के सीमांकन के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन अधीक्षक भू–अभिलेख से कराने के प्रतिवेदन पर तहसीलदार ने सीमांकन की कार्यवाही अधीक्षक भू–अभिलेख के दल से कराई, जो सम्बधित कृषकों की उपस्थिति में दिनांक 05.07.2012 को सम्पन्न हुई । उक्त कार्यवाही का विरोध अनावेदक ने इस आधार पर किया कि ग्राम के नक्शे को अपर कलेक्टर ने गलत माना है तथा इसमें सुधार का प्रकरण अपर कलेक्टर के यहॉ 1992–93 से लम्बित है । भू–अभिलेख को अद्यतन तथा सही स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व राजस्व अधिकारियों का भी है तथा जब तक भू–अभिलेख की प्रविष्टि गलत प्रमाणित न हो उसे अमान्य नहीं किया जा सकता है । अपर कलेक्टर के यहॉ प्रकरण 1992–93 अर्थात् पिछले 20 वर्षो से लम्बित है । जो छायाप्रतियां पेश है उनसे उक्त लंबित प्रकरण की सही

विषय वस्तु भी दर्शित नहीं होती है । ऐसे में उक्त आधार पर तहसीलदार द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के दिनांक 05.07.2012 के सीमांकन को न मानने के जो आधार लिए गए है, वह सही नहीं है । अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्ति में यह भी नहीं बताया है कि उक्त सीमांकन से वह कैसे प्रभावित है ।

6– उक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.08.2012 निरस्त किया जाता है तथा सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 05.07.2012 को मान्य किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर